

विनोद कुमार बनाम वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

31.03.2022

हुकम व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2021 / 79

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

अपी अधि०- एनएस राजावत
पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत क्षेत्राधिकार पर आदेशार्थ पेश हुई।
प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति आक्षेपित आदेश के विरुद्ध न्यायालय
के समक्ष अपील पोषणीय व संधारण योग्य नहीं होने के कारण
अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने बाबत एवं प्रार्थना पत्र
न्यायालय को रिको की भूमियों के बाबत सुनवाई का श्रवणाधिकार
व क्षेत्राधिकार नहीं होने से दिनांक 09.04.2021 को एकतरफा तौर
पर पारित स्थगन आदेश वेकेट, निरस्त किये जाने व आगे नहीं
बढ़ाए जाने बाबत दिनांकित 03.08.2021 पर सुना गया। रेस्पोंडेन्ट
संख्या 01 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी, रिको
के विधिवत आदेश दिनांक 03.01.2004 के विरुद्ध न्यायालय में
प्रस्तुत अपील श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपीलान्त को
रिको डिसपोजल रूल्स के तहत भूमि आवंटित की गई थी, जो
विधिवत तौर पर आवंटन निरस्त होने से भूमि पुनः रिको में वेस्ट
हो गई। अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय के समक्ष विधि
विपरित तौर पर रिको भूमि के संबंध में अपील भू-राजस्व
अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की गई है,
जबकी मौजूदा प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू
नहीं होते हैं। चूंकि अपीलान्त को तत्समय किया गया आवंटन
भू-राजस्व अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं किया
जाकर अपितु रिको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1979 के तहत किया
गया था, विवादग्रस्त आराजीयात रिको के स्वामित्व की भूमि है,
जिसे लेने हेतु मौजूदा अपीलान्त द्वारा आवेदन किया गया था,
परन्तु अपीलान्त द्वारा आवंटन नियम की पूर्ण पालना नहीं करने के
कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। न्यायालय के समक्ष
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों के तहत अपील प्रस्तुत की गई है
परन्तु इस प्रकरण में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के कानूनी प्रावधान लागू
नहीं होते हैं, क्योंकि यह भूमि पूर्णतया रिको के स्वामित्व की भूमि
है जिसे रिको लैण्ड डिस्पोजल रूल्स, 1979 के तहत आवंटन
किया गया था। अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति आक्षेपित आदेश
इस न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय एवं संधारण योग्य नहीं
होने के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे तथा स्थगन
आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया है।
उभयपक्ष अभिभाषक की सुनी बहस पर मनन एवं
पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेस्पोंडेन्ट
द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.08.2021 स्वीकार योग्य होने
से स्वीकार किया जाता है। यह अपील भू-राजस्व अधिनियम
1956 अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। धारा 75 के
तहत भू-अभिलेख अधिकारी (लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर) के आदेश के
विरुद्ध ही प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष श्रवणाधिकार है।
चूंकि यह अपील प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीय
डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिको लिमिटेड द्वारा पारित
आदेश क्रमांक (4-S-7) 99/3283-84 दिनांक 03.01.2004 इस
न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

242
संभागीय आयुक्त
अजमेर